म जारी हुए

1-23 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7-2-23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

7/2/23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये । अप्रार्थीगण को कितनी बार रूक-रूक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 15:08:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी— नारायण लाल जीनगर (आर०ए०एस०)

मुकदमा संख्या— 06/23

श्री शिवकुमार S/o श्री नानुराम खटीक निवासी-बागोर तहसील-माण्डल

—प्रार्थी

बनाम

श्री अशोक S/o श्री मेवालाल खटीक निवासी- बागोर तहसील-माण्डल
श्री दानमल S/o श्री मांगीलाल महाजन निवासी- बागोर तहसील माण्डल
राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील-माण्डल

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :— 07.02.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आमली कॉलोनी पटवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 6506/7295 कुल किता 01 रकबा 0.5059 हेक्टयर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि व विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाखिला के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 11.01.23 को पजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

अतः प्रार्थना पत्र धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम आमली कॉलोनी पटवार बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 6506/7295 किता 01 रकबा 0.5059 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी होने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक बागोर को 500/- रूपये/— कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 15:08:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:— तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा